न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 166/2011

1. हरमन्दर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह,
2. राजकौर पत्नी हरमन्दरसिंह

अकवाम जटसिख निवासी मोरजण्डा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

--अपीलार्थी

बनाम

1. परविन्द्र कौर पत्नी जसवीर सिंह उर्फ संसार सिंह
2. पवनदीप कौर पुत्री जसवीर सिंह उर्फ संसार सिंह
3. जगतार सिंह उर्फ अवतार सिंह पुत्र हरमन्दर सिंह

जाति जटसिख मोरजण्डा सिखान तह. संगरिया

--रेस्पोडेंट्स

(2) अपील संख्या 113/2014

लखविन्द्र कौर उर्फ लखवीर कौर पुत्री हरमन्दर सिंह (पत्नी टेक सिंह उर्फ गुदयाल सिंह) जाति जटसिख निवासी हाल आबाद अमरगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

--अपीलार्थी

बनाम

1. परविन्द्र कौर पत्नी जसवीर सिंह उर्फ संसार सिंह
2. पवनदीप कौर पुत्री जसवीर सिंह उर्फ संसार सिंह, नाबालिग जरिये माता कुदरती वली परविन्द्र कौर पत्नी जसवीर सिंह उर्फ संसार सिंह
3. जगतार सिंह उर्फ अवतार सिंह पुत्र हरमन्दर सिंह
4. हरमन्दर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह
5. राजकौर पत्नी हरमन्दर सिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:25:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

अकवाम जटसिख निवासीगण मोरजण्डा सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, संगरिया,
दिनांक 27.07.2011, प्रकरण संख्या 34/2003

उपस्थितिः—

श्री दिनेश कुमार शर्मा, अभिभाषक अपीलांट अपील संख्या 166/2011
श्री रमेश दास पुरोहित, अभिभाषक अपीलार्थी अपील संख्या 113/2014
श्री बलविन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट

निर्णय   दिनांक 04.03.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट परविन्द्र कौर व पवनदीप कौर ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, संगरिया के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 का दलीप सिंह के परिवार की वंशावली दर्शाते हुए पेश कर कथन किया कि वादी संख्या 1 के ससुर, वादी संख्या 2 के दादा हरमन्दर सिंह के नाम चक 9 एम जे डी खाता संख्या 70/60 में 2.024 हैक्टेयर, चक 11 एम जे डी के खाता संख्या 47/44 में 1.695 हैक्टेयर, खाता संख्या 56/53 में 1.695 हैक्टेयर, खाता संख्या 83/82 में 4.997 हैक्टेयर, खाता संख्या 86/87 में 0.126 हैक्टेयर, खाता संख्या 57/54 खाता भूरा सिंह वगैरा ने 0.771 हैक्टेयर आराजी दर्ज है। उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति है, जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने दादा दलीप सिंह से विरासतन में प्राप्त हुई है, इसलिए इस भूमि में 1/3 हिस्सा का हक वादी संख्या 1 के पति एवं वादी संख्या 2 के पिता जसवीर सिंह उर्फ साबा सिंह का 1/3 हिस्सा का हक, वादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:25:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

1 के जेठ व वादी संख्या 2 के ताया, प्रतिवादी संख्या 2 जगतार सिंह उर्फ अवतार सिंह का जन्म से ही है। जसवीर सिंह उर्फ संसार सिंह की मृत्यु हो चुकी है। अतः प्रतिवादी सख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में 1/3 हिस्सा का हकदार वादीगण व 1/3 हिस्सा का हकदार प्रतिवादी संख्या 2 व शेष 1/3 हिस्सा का हकदार प्रतिवादी संख्या 1 है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है जिस बाबत् कोई विवाद नहीं है। चूंकि राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी अभी भी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज चली आ रही है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में 1/3 हिस्सा की खातेदारी घोषणा करवाने की अधिकारिणी है। इस बाबत् वादीगण प्रतिवादीगण से निवेदन किया, तो वह पहले तो टालमटोल करते रहे बाद में इन्कार हो गये यही वादकरण पैदा हुआ। अतः निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार कर वाद की अनुतोष की मद 'क' के अनुसार वाद डिक्री किया जावे।

2. वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावा पेश कर वाद को खारिज करने का निवेदन किया एवं प्रतिवादीगण ने जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश कर कथन किया कि वादिया के पति जसवीर सिंह उर्फ संसार सिंह की मृत्यु हो चुकी है तथा वादिया गर्भवती है। जसवीर सिंह उर्फ संसार सिंह का वारिस वादिया के गर्भ में पल रहा है तथा जसवीर सिंह उर्फ संसार सिंह की मां भी जिन्दा है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादिया 1/3 में से 1/3 की सीमित उत्तराधिकारी है तथा वादिया हरमन्दर सिंह की पत्नी राजकौर को पक्षकार नहीं बनाया है, इसलिए आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाये जाने से वाद खारिज योग्य है। वादिया अपने ससुर के 1/3 में से 1/3 की उत्तराधिकारी है, परन्तु वादिया 1/3 हिस्से में से 1/3 हिस्सा प्राप्त करने के पश्चात् उस हिस्सा को बेचने [illegible] अधिकारी नहीं होगी। अतः निवेदन है कि काउंटर [illegible] स्वीकार [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:25:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3. वादीगण ने जवाबुल जवाब पेश कर काउंटर क्लेम खारिज करने का निवेदन किया।

दावा एवं जवाब दावा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अनुतोष सहित नौ वाद बिन्दु कायम किये गये।

4. सुनवाई करने के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी संगरिया ने दिनांक 27.07.2011 को वादी का वाद स्वीकार कर लिया एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध उपरोक्त दोनों ही अपीलें पेश हुई है। चूंकि दोनों ही अपीलें एक ही आदेश के विरूद्ध होने से एवं उभय पक्ष अधिवक्तागण द्वारा दोनों अपीलों में एक साथ बहस किये जाने के कारण दोनों ही अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी अपील संख्या 166/2011 में अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा के आधार पर नौ तनकियात कायम की गई एवं दोनों ही पक्षों द्वारा अपने साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 1 का निर्णय विधिक के प्रावधानों के विपरीत किया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 से 6 से यह कहीं भी साबित नहीं होता कि विवादित भूमि विरास्तन प्राप्त हुई हो तथा मामला में प्रदर्श डी4 व प्रदर्श डी5 से यह स्पष्ट है कि भूमि अपीलांट हरमन्दर सिंह को अपने दादा से जरिये तमलीकनामा से आई है जो पंजीकृत दस्तावेज है जिसके आधार पर इन्तकाल भी उसी समय अपीलांट हरमन्दर सिंह के नाम दर्ज हो गये थे, जिससे यह नहीं माना जा सकता कि अपीलांट को विरास्तन प्राप्त हुई हो, क्योंकि भूमि जरिये तमलीकनामा प्राप्त होने से विरास्तन सम्पत्ति नहीं मानी जा सकती, बल्कि स्वअर्जित मानी जाती है। इस प्रकार अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:25:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 का निर्णय सही नहीं किया है। तनकी नम्बर 2, तनकी नम्बर 1 पर आधारित है। यदि तनकी नम्बर 1 के आधार पर कानूनी रूप से कोई हक रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का नहीं बनता, तो तनकी नम्बर 2 भी रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के हक में निर्णित नहीं की जा सकती। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का किसी प्रकार से कब्जा काश्त नहीं है, इसलिए तनकी नम्बर 2 का निर्णय विधि विरूद्ध किया है। तनकि संख्या 3 का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 4, 5 व 9 का निर्णय एक साथ किया है, जो दान पत्र से सम्बन्धित थी। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि दान पत्र को साबित नहीं किया है, जबकि प्रदर्श ए डी–3 से साबित कराया है। दान पत्र 30 वर्षो से अधिक पुराना है जिसे गलत होना नहीं माना जा सकता। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने दान पत्र को नहीं मानने से विधिक भूल की है एवं तनकी नम्बर 4, 5 व 9 का निर्णय अपीलांट के पक्ष में किया जाना चाहिए था, जो नहीं किये जाने का निर्णय लिया है व उचित नहीं है। तनकी संख्या 6 का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक विरूद्ध किया है, जो रिकार्ड प्रदर्श ए डी–4 व 5 के विपरीत है, इसलिए भूमि विरास्तन होना नहीं माना जा सकता। मात्र 10.5 बीघा भूमि ही विरासतन प्राप्त हुई है, जो रिकार्ड से साबित है। बकाया भूमि दान पत्र से प्राप्त हुई है, इसलिए तनकी नम्बर 6 का निर्णय अपीलांट के पक्ष में करना चाहिए था, जो अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं करने में विधिक भूल की है। तनकी नम्बर 7 व 8 का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश [illegible]ने एवं काउंटर क्लेम अस्वीकार करने में विधिक [illegible] है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपील[illegible] हुए वादीगण का वाद खारिज कर, प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम स्वीकार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:25:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट अपील संख्या 113/2011 में अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट, रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 की सन्तान होने के कारण विवादित भूमि में अपीलांट का हक व हिस्सा बनता है। अतः प्रभावित पक्षकार होने के कारण अपील पेश करने की अनुमति बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पेश किया है, जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंन्ट ने मुख रूप से वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश करने पर प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश किया गया। दावा एवं जवाब दावा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायत की गई। वादीगण/रेस्पोडेंट ने अपनी साक्ष्य में अपने वाद को पूर्ण रूप से साबित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार करने और प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। दान पत्र को पूर्ण रूप से साबित नहीं करवाया है, पैतृक सम्पत्ति में वादीगण का हक व हिस्सा बनता था, जो अधीनस्थ न्यायालय ने वाद स्वीकार कर घोषित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश कानूनी एवं विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं हुई है। अतः अपील संख्या 166/2011 गुणावगुण के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

9. जहां तक अपील संख्या 113/20[illegible] प्रश्न है इस संबंध में वकील रेस्पोडेंट ने कथन किया कि लखवि[illegible]कौर ने अपील पेश करने की अनुमति बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धा[illegible] 96 सी पी सी पेश कर रेस्पोडेंट

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:25:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

संख्या 4 व 5 का सन्तान होने का कथन किया है, किन्तु इसके समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट आदि पेश नहीं किया है जिससे यह माना जा सके कि अपीलार्थी रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 की सन्तान हो। मात्र लिख देने से सन्तान होना साबित नहीं होता। अतः यह अपील इसी बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है।

10. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

11. अपील संख्या 113/2014 लखविन्द्र कौर बनाम परविन्द्र कौर आदि ने अपील पेश करने की अनुमति बाबत् अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी का पेश कर यह अंकित किया है कि वह रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 की सन्तान होने के नाते विवादित भूमि में उसका हक व हिस्सा बनता है, किन्तु इस प्रार्थना पत्र के समर्थन में उसके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह माना जा सके कि अपीलार्थी संख्या 4 व 5 की उत्तराधिकारी है जिसके अभाव में अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती, न ही अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश से किसी भी प्रकार से प्रभावित पक्षकार माना जा सकता है। अतः अपील संख्या 113/2014 इसी बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है।

12. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकियों के सम्बन्ध में मुख्य तनकी संख्या 1 थी जिसे साबित करने का भार वादीगण पर था। इस तनकी को साबित करने के लिए वादिया परविन्द्र कौर व गवाह मनजीत सिंह ने अपने ब्यानों में कथन किया कि चक 9 एम जे डी व 11 एम जे डी की कृषि भूमि हरमन्दर सिंह को अपने पिता प्रीतम सिंह से विरास्तन प्राप्त हुई जो पैतृक भूमि है। प्रतिवादी संख्या 2 के पुत्र जसवीर सिंह उर्फ संसार सिंह व [illegible] सिंह उर्फ [illegible] सिंह है। वादीगण के पति/पिता संसार सिंह का विवादित कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:25:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

विरासतन हिस्सा बनता है। इसके जवाब में प्रतिवादी संख्या 3 राजकौर के द्वारा तमलीकनामा (दान पत्र) प्रदर्शित कराया है, जबकि तमलीकनामा को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था। तमलीकनामा को दलीप सिंह ने करवाया हो, के संबंध में कोई गवाह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये तथा न ही इस पर प्रतिवादी संख्या 1 के अंगूठा हस्ताक्षर है जिससे यह साबित होता हो कि प्रतिवादी संख्या 1 ने इस दान पत्र को स्वीकार किया हो। दलीप सिंह के नाम कृषि भूमि उसकी स्वंअर्जित सम्पत्ति हो इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न तो अधीनस्थ न्यायालय में व ना ही इस न्यायालय में पेश की है। इस प्रकार तनकी संख्या 1 को साबित करने में वादी पूर्णतः सफल रहा है और अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1 का निर्णय वादी के पक्ष में कोई विधिक भूल नहीं की है। तनकी नम्बर 2 को साबित करने का भार वादीगण पर था जैसा कि तनकी संख्या 1 के निर्णय में यह तय किया जा चुका है कि विवादित भूमि वादीगण के विरासतन में प्रमाणित है। गवाह पी डब्ल्यू–1 से हुई जिरह में प्रतिवादीगण द्वारा 16.10 बीघा भूमि पर वादीगण के कब्जा में होने का प्रश्न किया जिससे वादिया ने सही होना बताया, क्योंकि भूमि सांझे खाता एवं संयुक्त परिवार की है जिस पर प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर हक व अधिकार होता है। इस प्रकार इस तनकी का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के पक्ष में करने में कोई विधिक भूल नहीं की। तनकी नम्बर 3 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था जिसे साबित करने के लिए प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया। तनकी 4, 5 को प्रतिवादी संख्या 3 व 9 को साबित करने का भार वादीगण पर था। उक्त तीनों तनकियात एक दूसरे से सम्बन्धित [illegible] न्यायालय ने इन तीनों तनकियात का निर्णय [illegible] तनकियात के निर्णय में क्या विधिक त्रुटि रही [illegible] द्वारा नहीं किया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:25:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

है। इस तनकी के निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2004(2) डी एन जे राजस्थान पेज 532 का उल्लेख किया है जिसके खण्डन स्वरूप अपीलांट द्वारा कोई कथन नहीं किया है। तनकी नम्बर 6 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 3 पर था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 1 के निर्णय के आधार पर इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध करने में कोई भूल नहीं की। तनकी नम्बर 7 को साबित करने का भार वादीगण पर था जैसा कि तनकी नम्बर 1 का निर्णय वादीगण के पक्ष में हो चुका था, ऐसी स्थिति में इस तनकी का निर्णय भी अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 के निर्णय के अनुसार अलग से विवेचन करने की कोई आवश्यकता नहीं समझने में कोई विधिक भूल नहीं की। तनकी संख्या 8 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की साक्ष्य से साबित करवाया जाना नहीं पाया जाता है।

13. उपरोक्त विवेचन के आधारपर स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्येक तनकी का निर्णय उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विस्तृत विवेचन करते हुए किया है जिसमें हमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपील संख्या 113/2014 धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है एवं अपील संख्या 166/2011 गुणावगुण के आधार पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करतारसिंह पूनियां)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:25:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner